प्रेस नोट थाना खैरागढ़ जनपद आगरा

थाना खैरागढ़ पुलिस टीम द्वारा वांछित रू0 20,000/– के इनामी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

जनपद में चोरी, लूट आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारियों के आदेश निर्देश के अनुपालन में थाना खैरागढ़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर रू0 20,000/– के इनामी वांछित अभियुक्त राजेश पुत्र मातादीन नि0 लहकपुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त 2013 से वांछित चल रहा था। दिनांक 05.08.2013 को अभियुक्त ने बीरेन्द्र सिंह पुत्र बृजकिशोर व रामनिवास पुत्र ओमप्रकाश नि0गण पीपरखेड़ा पर गोलियां चलाकर जानलेवा हमला किया था, जिस सम्बन्ध में थाना खैरागढ़ पर मु0अ0सं0 207/2013 धारा 307/506/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा पूर्व में अभि0 उपरोक्त पर रू0 20,000/– का इनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्त का विवरण :–

01. राजेश पुत्र मातादीन नि0 लहकपुर थाना कंचनपुर।

आपराधिक इतिहास का विवरण :–

01. मु0अ0सं0 68/99 धारा 394/397/34 भादवि थाना कोतवाली देहात भिण्ड म0प्र0।
02. मु0अ0सं0 261/2015 धारा 174 ए भादवि अछनेरा आगरा।
03. मु0अ0सं0 207/2013 धारा 307/506/120बी भादवि थाना खैरागढ़ आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :–

01. प्रभारी निरीक्षक श्री बलवान सिंह थाना खैरागढ़ आगरा।
02. उ0नि0 अभिषेक थाना खैरागढ़ आगरा।
03. हे0का0 सुभाषचन्द्र, हे0का0 राकेश कुमार थाना खैरागढ़ आगरा।
04. का0 रामकुमार, का0 रबिन्द्र कुमार थाना खैरागढ़ आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।